## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 152-17	Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant	RXX
60,649	ड्यावमारी विभाग
क्षा विकास स्वापन स्यापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वा	रिज्ञा - भिष्ठ
भागायक साम्यास्त्र भीवत	400
Name, parentage, caste and address of accused	
क्षारपन्डा रमरमाम व्यास्ट	
STORY THE PROPERTY OF THE PROP	टा भेन नित्र हाबा
	टा विव किति हाबा
	हिमिन्।
The offence, compla	inant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप	है कि दिनांक 1917/2017 मुकाम
आधिपत्य में	
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय	
अपराध कारित किया।	
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।	
पटायं जाने पर 💛 का स्	s supleio pa libito lusel need 2.1 2 - specific
The plea of the accused and his examination (if any)	
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।	
अपराध स्वाकार ह। न्यून दण्ड स दाण्डत	करन कामवदन है।
CNSON INC. HOURS AS	निर्दे क्यांक्राक होते संक्रिक होते हैं है। है। है। है। है।
24	भाषिक हरिती है प्रथम क

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## //निर्णय//

## (आज दिनांक 21/8/2017 को घोषित)

- 01. <u>अभियुक्त के विरूद</u> आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. सक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक रवीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है।, उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारो अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रूपये ऽ शब्दों में तिवाल रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
- 04 जप्तशुदा सम्पत्ति 1. लीटर/पाव/बोतल ज्या शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।